

FORM No. III

Crime I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खीवसर

सायरीदेवी बनाम सोहनराम

किरम मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट

नं. 15/18 सन् 2018

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गम्बर व तारीख  
अहकाम की  
तामील में जारी  
हए

26.04.2018

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे । मिशत वारते जबाव हेतु दिनांक 11.06.2018 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
खीवसर

अक्त प्रकरण नं. 15/18  
आपके द्वारा, कम्प काट्टे राजस्व प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत किया गया है। उपस्थित पक्षकारानों को नोटिस जारी किया जा रहा है।  
पक्षकारों के पत्र प्रकरण में प्रतिक्रिया देते हुए जवाब नहीं दे पाए हैं। प्रकरण न्यायक्षेत्र में दिनांक 25/8/18 को पेश है।

पीसीओ अधिकारी  
व आपके द्वारा  
कम्प काट्टे

20-8-18

उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों की प्रतिक्रिया-  
पक्षकारों को नोटिस तलब किया गया है।  
पक्षकारों को नोटिस तलब किया गया है।  
दिनांक 27-9-18 को पेश है।

सहायक कमिश्नर  
(SDO), खीवसर

पक्षकार/पक्षकारानों के आवेदनता उपास्थत

पीसीओ अधिकारी जी मीटिंग में प्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्राचार उनके समक्ष दिनांक 25/10/18 को प्रस्तुत है।

रुग्ण वा कार्यवाही मय इतिप्रियत्वं नत

नवर व तारीख  
अहकाम को इस  
रुग्ण को तारीख  
में तारी मू

7/6/2022  
पत्रिकाको तारीख  
तारीख  
गण/म  
अवकाश  
दिनांक को 16/6/2022

16/6/22  
पत्रिकाको पेश हुई।  
नीचाके अतिकारी को मीटिंग में/  
पुस्तक/पे है / न्यायान्तरण पर चला है /  
अवकाश पर मय मू है प्रकाशको कागशी  
दिनांक को 1/9/22

11/9/22

पत्रिकाको पेश हुई । बीन अधीन  
रुग्ण अधीन को कार-2 स्वागत दिनांक  
कागशी मीटिंग में कागशी कोर्ड मी  
रुग्ण, नीचे उका है कागशी रुग्ण  
जा. मय को अरुण परवी, अरुण  
कागशी के स्वच्छिण दिनांक जाग है।  
पत्रिकाको फाइल मुकाम हैकर  
कागशी के मय हैकर कार जाग  
शागिन रुग्ण को है।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) खीवम

कागशी रुग्ण